CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

NEWS FOR

UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

14 Feb. 2025

ABHAY Sir

❖ **Topic 1:-** भारत-फ्रांस सबमरीन समझौता

❖ **Topic 2:–** नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Act, 2025)

❖ **Topic 3:–** मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

❖ **Topic 4:-** IEA की "इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट: आउटलुक टू 2030"

❖ **Topic 5:-** भारत में पाम ऑयल और आयात में गिरावट

भारत-फ्रांस सबमरीन समझौता

Result Mitra

❖ भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिनमें पनडुब्बियों (सबमरीन) से जुड़े समझौते भी शामिल हैं। "हंटर-किलर सबमरीन" विशेष रूप से उन पनडुब्बियों को कहा जाता है, जो अन्य जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम होती हैं।

❖ भारत-फ्रांस सबमरीन समझौता:

1. स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियां (P75 प्रोजेक्ट):

❖ भारत और फ्रांस ने 2005 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और फ्रांसीसी नेवल ग्रुप (पूर्व में DCNS) के बीच स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता किया।

❖ इस समझौते के तहत भारत में छह स्कॉर्पीन क्लास की डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाई जा रही हैं, जिन्हें कलवरी क्लास कहा जाता है।

❖ इनमें से INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाग्शीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

2. P75I प्रोजेक्ट (नया समझौता – भविष्य की योजना):

❖ भारत P-75I (Project 75 India) के तहत छह नई अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बना रहा है।

❖ इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम होगा, जिससे पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकेगी।

❖ इस परियोजना में फ्रांस की नेवल ग्रुप, जर्मनी की thyssenkrupp, दक्षिण कोरिया, रूस और स्पेन की कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

3. न्यूक्लियर अटैक सबमरीन (SSN) में संभावित सहयोग:

- भारत भविष्य में न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन (SSN) विकसित करने की योजना बना रहा है।

- फ्रांस की मदद से इस क्षेत्र में सहयोग संभव है, क्योंकि फ्रांस के पास रुबिस और सफीर क्लास SSN जैसी अत्याधुनिक तकनीक है।

भारत को क्या फायदा होगा?

- आधुनिक पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक ताकत मजबूत होगी।

- स्वदेशी निर्माण से भारत की "मेक इन इंडिया" नीति को बढ़ावा मिलेगा।

- चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को देखते हुए, भारत की नौसेना को और ताकत मिलेगी।

- भारतीय नौसेना के पास विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियाँ हैं, जो पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक और परमाणु शक्ति से चलने वाली श्रेणियों में आती हैं। ये पनडुब्बियाँ समुद्री रक्षा, गश्त और रणनीतिक प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

❖ भारतीय नौसेना की प्रमुख पनडुब्बियाँ

1. परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बियाँ (Nuclear-Powered Submarines - SSBN & SSN)

(A) बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन (SSBN - Strategic Strike Submarines)

❖ ये पनडुब्बियाँ परमाणु मिसाइलों से लैस होती हैं और भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता (Nuclear Deterrence) का मुख्य हिस्सा हैं।

1. **INS अरिहंत (INS Arihant)** – भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN)
2. **INS अरिघाट (INS Arighat)** – INS अरिहंत का उन्नत संस्करण, जल्द ही नौसेना में शामिल होने की संभावना।
3. **भविष्य की योजनाएँ** – भारत चार और SSBN विकसित कर रहा है, जिनमें से दो निर्माणाधीन हैं।

(B) अटैक सबमरीन (SSN - Nuclear Attack Submarines)

❖ ये तेज गति से दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम होती हैं।

1. **INS चक्र (INS Chakra) -** Akula-Class SSN (रूस से लीज़ पर) – 10 साल की लीज पूरी होने के बाद 2021 में रूस को लौटाई गई।

2. **INS चक्र III (INS Chakra III) –** भारत रूस से एक और Akula-Class SSN लीज़ पर ले सकता है।

3. **स्वदेशी SSN योजना –** भारत छह स्वदेशी परमाणु शक्ति चालित अटैक सबमरीन विकसित कर रहा है, जो 2030 के दशक में नौसेना में शामिल हो सकती हैं।

2. डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियाँ (Diesel-Electric Attack Submarines - SSK)

❖ ये पारंपरिक पनडुब्बियाँ हैं, जो भारतीय नौसेना के अंडरवाटर युद्ध संचालन की रीढ़ हैं।

(A) स्कॉर्पीन-क्लास (Kalvari-Class) (P-75 Project)

❖ फ्रांस के सहयोग से बनी नई और आधुनिक पनडुब्बियाँ।

1. INS कलवरी (INS Kalvari)
2. INS खंडेरी (INS Khanderi)
3. INS करंज (INS Karanj)
4. INS वेला (INS Vela)
5. INS वागीर (INS Vagir)
6. INS वाग्शीर (INS Vagsheer) (ट्रायल में)

(B) सिंधुघोष-क्लास (Sindhughosh-Class) (Kilo-Class - रूस)

❖ ये पुरानी लेकिन अभी भी सेवा में मौजूद पनडुब्बियाँ हैं।

1. INS सिंधुघोष (INS Sindhughosh)
2. INS सिंधुध्वज (INS Sindhudhvaj) (Decommissioned - 2022)
3. INS सिंधुराज (INS Sindhuraj)
4. INS सिंधुकीर्ति (INS Sindhukirti)
5. INS सिंधुवीर (INS Sindhuvir)
6. INS सिंधुरत्न (INS Sindhuratna)
7. INS सिंधुकेसरी (INS Sindhukesari)
8. INS सिंधुशस्त्र (INS Sindhushastra)

(C) शिशुमार-क्लास (Shishumar-Class) (Type 209 - जर्मनी)

❖ जर्मनी के सहयोग से बनाई गईं पारंपरिक पनडुब्बियाँ।

1. INS शिशुमार (INS Shishumar)
2. INS शंकुश (INS Shankush)
3. INS शाल्की (INS Shalki)
4. INS शंकर (INS Shankul)

3. भविष्य की योजनाएँ (P-75I Project - Next Generation Submarines)

❖ भारत छह नई एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ विकसित करने की योजना बना रहा है।

❖ **संभावित कंपनियाँ:** फ्रांस (Naval Group), जर्मनी (TKMS), रूस, दक्षिण कोरिया, और स्पेन।

❖ प्रश्न 1: भारत और फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) 1998 में स्थापित की गई थी।
2. फ्रांस भारत को परमाणु आपूर्ति करने वाला पहला देश था जिसने 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया था।
3. भारत और फ्रांस क्वाड (QUAD) समूह के सदस्य हैं।

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Act, 2025)

❖ नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Act, 2025) – मुख्य बिंदु

1. **सरल और स्पष्ट कानून** – नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान होगा।
2. **कम पन्ने** – पुराने 1961 के कानून में 880 पन्ने थे, जबकि नए कानून में 622 पन्ने हैं।
3. **अनुपालन में सुधार** – टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और बेहतर बनाया जाएगा।
4. **गैरजरूरी प्रावधान हटाए गए** – पुराने और अप्रासंगिक नियमों को खत्म किया गया।
5. **सेक्शन्स की कटौती** – कई सबसेक्शन हटा दिए गए हैं, जिससे जटिलता कम हुई।
6. **2025 से लागू** – इसे Income Tax Act, 2025 नाम दिया गया है।

❖ पुराने और गैरजरूरी प्रावधान हटाए गए

1. **पुराने और गैरजरूरी प्रावधान हटाए गए –** कानून को अधिक प्रासंगिक बनाया गया है।
2. **मुकदमेबाजी में कमी –** टैक्स मामलों का तेजी से निपटारा करने पर जोर दिया गया है।
3. **आम नागरिकों के लिए सरल –** इसे ऐसा बनाया गया है कि हर कोई आसानी से समझ सके।
4. **आसान और स्पष्ट भाषा –** पुराने कानून की जटिल शब्दावली को सरल किया गया है।
5. **कानून पढ़ना आसान –** उदाहरण: 'Notwithstanding' को 'Irrespective of anything' में बदला गया है।
6. **बेहतर अनुपालन और पारदर्शिता –** टैक्स सिस्टम को सरल और निष्पक्ष बनाया गया है।

❖ असेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' :–

1. 'असेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' – अब Assessment Year को Tax Year कहा जाएगा।
2. टैक्स ईयर की अवधि – यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, ठीक वित्त वर्ष (Financial Year) की तरह।
3. व्यवसाय के लिए नियम – अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है, तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में समाप्त होगा।

❖ डिजिटल एसेट्स पर टैक्स

1. क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स – अब क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स लगेगा।
2. TDS और टैक्सेशन आसान – TDS और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया, जिससे टैक्सपेयर्स को समझने में आसानी होगी।

3. **टैक्स विवादों का समाधान (DRP) –** Dispute Resolution Panel (DRP) के फैसले को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी।

4. **पुराना टैक्स रिजीम जारी रहेगा –** सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन पुराना टैक्स रिजीम भी जारी रहेगा।

5. **लंबित टैक्स असेसमेंट –** पुराने लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं किया जाएगा, उनका निपटारा पुराने नियमों के तहत ही होगा।

6. **टैक्स विवाद और मुकदमेबाजी में कमी –** नए कानून में कई नियम आसान किए गए हैं, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे।

7. **नए कानून की प्रक्रिया –** बिल लोकसभा में पास हो चुका है, अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह लागू होगा।

❖ प्रश्न 1: भारतीय वित्तीय वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का वित्तीय वर्ष भी भारत सरकार के वित्तीय वर्ष के समान होता है।
3. कई विकसित देशों जैसे अमेरिका और जापान का वित्तीय वर्ष भारत के वित्तीय वर्ष से अलग होता है।

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Result Mitra
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

❖ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू – मुख्य बिंदु:

❖ **राष्ट्रपति शासन लागू:** केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2024 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया।

❖ **मुख्यमंत्री का इस्तीफा:** मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2024 को गवर्नर को इस्तीफा सौंपा।

❖ **जातीय हिंसा का प्रभाव:** 3 मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

❖ **दबाव और विपक्ष का सवाल:** हिंसा और बिगड़ती स्थिति को लेकर बीरेन सिंह पर इस्तीफे का दबाव था। विपक्षी दल लगातार केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांग रहे थे।

❖ **प्रशासनिक नियंत्रण:** राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन रहेगा।

❖ मणिपुर संकट: ITLF की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयान

❖ **ITLF की मांग:** कूकी समुदाय की संस्था ITLF ने अलग प्रशासन की मांग दोहराई।

❖ **बीरेन सिंह का इस्तीफा:** ITLF प्रवक्ता गिन्जा वूलजोंग ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया।

❖ **ऑडियो टेप विवाद:** हाल ही में लीक हुए ऑडियो टेप पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिससे भाजपा के लिए भी बीरेन सिंह को बचाना मुश्किल हो गया।

❖ **कूकी समुदाय का रुख:** ITLF ने कहा कि मैतेई समुदाय से अलग होने के बाद अब वे पीछे नहीं हटेंगे।

❖ बीरेन सिंह का मणिपुर हिंसा पर माफी बयान

❖ **बीरेन सिंह का माफी बयान:** दिसंबर 2024 में सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में हुई हिंसा और जनहानि के लिए राज्यवासियों से माफी मांगी।

❖ **दुख व्यक्त किया:** उन्होंने कहा, "यह साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।"

❖ **मृतकों और विस्थापितों के लिए खेद:** बीरेन सिंह ने कहा, "कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और कई ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे इसका बहुत दुख है।"

❖ **हिंसा का विवरण:** मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा जारी है, जो अब तक 600 दिनों से अधिक हो चुकी है।

❖ **गोलीबारी की घटनाएं:**

❖ मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक 408 गोलीबारी की घटनाएं।
❖ नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं।
❖ मई 2024 से अब तक 112 घटनाएं हुईं।

❖ **मणिपुर हिंसा पर हालिया स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई**

❖ **पिछले महीने से शांति:** मणिपुर में पिछले महीने से कोई हिंसा नहीं हुई है।
❖ **शांति की स्थिति:** कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने नहीं उतरे।
❖ **सामान्य जीवन:** सरकारी दफ्तर नियमित रूप से खुल रहे हैं और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है।

❖ **लीक ऑडियो क्लिप विवाद:**

❖ **आरोप:** 3 फरवरी को मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दावा किया गया कि कुछ ऑडियो क्लिप्स में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था।

❖ **कथित बयान:** इन क्लिप्स में दावा किया गया कि बीरेन सिंह ने मैतेई समुदाय को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें बचाया।

❖ **सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई:**

❖ **KOHUR की याचिका:** कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (KOHUR) ने इन ऑडियो क्लिप्स की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

❖ **सीएफएसएल जांच:** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSL) से 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार को निर्देश दिए कि यह एक और विवाद न बने।

❖ राज्यों में राष्ट्रपति शासन (President's Rule in States) - UPSC हिंदी

❖ संवैधानिक प्रावधान

❖ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र (Constitutional Machinery) विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति, राज्य में शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकते हैं।

❖ राष्ट्रपति शासन लागू करने के आधार:

1. राज्यपाल की रिपोर्ट:

❖ यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर बताते हैं कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

2. संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन:

❖ यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो।

3. अनुच्छेद 365:

❖ यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

❖ प्रक्रिया:

1. राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट (या अन्य आधारों पर) पर विचार कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

2. राष्ट्रपति शासन प्रथम 6 माह के लिए लागू होता है, जिसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

3. संसद की मंजूरी आवश्यक होती है:

- ❖ पहले 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन संसद की मंजूरी से लागू किया जाता है।
- ❖ हर 6 महीने पर संसद की पुन: मंजूरी आवश्यक होती है।
- ❖ 3 वर्ष से अधिक विस्तार सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से संभव है।

❖ राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:

1. विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है।
2. राज्यपाल को राज्य का प्रशासन चलाने की शक्ति मिलती है।
3. राष्ट्रपति, संसद की सहमति से राज्य के लिए नियम बना सकते हैं।
4. राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं।

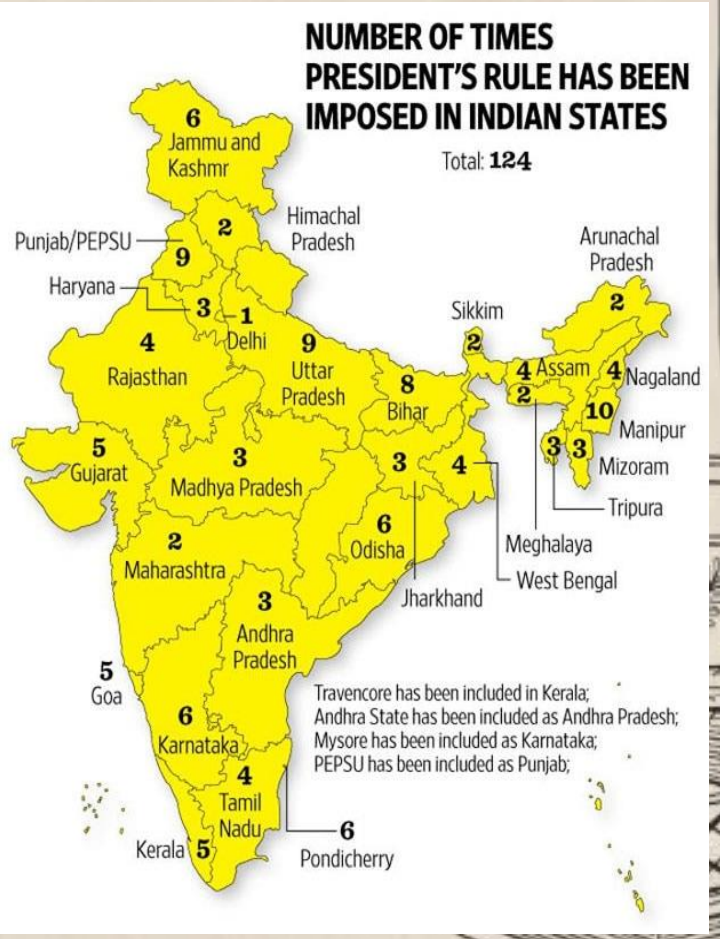

❖ राष्ट्रपति शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय:

❖ एस.आर. बोम्मई बनाम भारत (1994):

- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन मनमाने तरीके से लागू नहीं किया जा सकता।
- ❖ न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है।
- ❖ असेंबली भंग करने से पहले संसद की मंजूरी आवश्यक है।

❖ भारत में राष्ट्रपति शासन के उदाहरण:

❖ अब तक कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जैसे:
❖ पंजाब (1971-1972, 1983-1985, 1987-1992)
❖ जम्मू और कश्मीर (2018-2019, अनुच्छेद 370 हटाने से पहले)
❖ उत्तर प्रदेश (1996), बिहार (2005), महाराष्ट्र (2019, 2020)

❖ प्रश्न : भारत में राष्ट्रपति शासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद राज्य की विधायी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेती है।
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्यपाल को कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ मिल जाती हैं।
3. 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति शासन की अवधि को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया था।

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

IEA की "इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट: आउटलुक टू 2030"

❖ **भारत के गैस क्षेत्र का लक्ष्य और विकास**
❖ **2030 तक स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी:** वर्तमान 6% से बढ़कर 15% करने का लक्ष्य।
❖ **गैस खपत में वृद्धि:** 2030 तक 60% तक बढ़ने की संभावना।
❖ **शहरी गैस वितरण (CGD) की भूमिका:** गैस खपत में वृद्धि का नेतृत्व करेगा, जिसमें घरों, उद्योगों आदि को पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति शामिल है।

❖ **गैस उत्पादन और आयात**
❖ **गैस उत्पादन (2023):** 35 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm)।
❖ **कृष्णा-गोदावरी डीपवाटर फील्ड्स:** कुल उत्पादन में लगभग 25% योगदान।
❖ **LNG आयात:** भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक, 2030 तक LNG आयात दोगुने से अधिक होने की संभावना।

❖ **कॉम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) क्षमता**
❖ **भारत की अनुमानित CBG क्षमता:** 87 bcm/वर्ष।
❖ **वर्तमान में स्थापित CBG क्षमता:** कुल क्षमता का 1% से भी कम।

❖ **मुख्य चुनौतियां**

1. मूल्य निर्धारण के मुद्दे
❖ लिगेसी क्षेत्रों से गैस की कीमतें $10/MMBtu पर सीमित, जिससे सही मूल्य निर्धारण में बाधा।
❖ उच्च लागत वाले डीपवाटर प्रोजेक्ट्स से निकलने वाली गैस की कीमतों पर भी सीमाएं।

2. हितों के टकराव की संभावना
❖ GAIL (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) विपणन और पाइपलाइन ट्रांसमिशन दोनों में अग्रणी, जिससे हितों का टकराव हो सकता है।

3. भंडारण क्षमता का अभाव

- भारत में भूमिगत गैस भंडारण (UGS) सुविधाएं नहीं हैं।
- LNG भंडारण क्षमता भी सीमित।

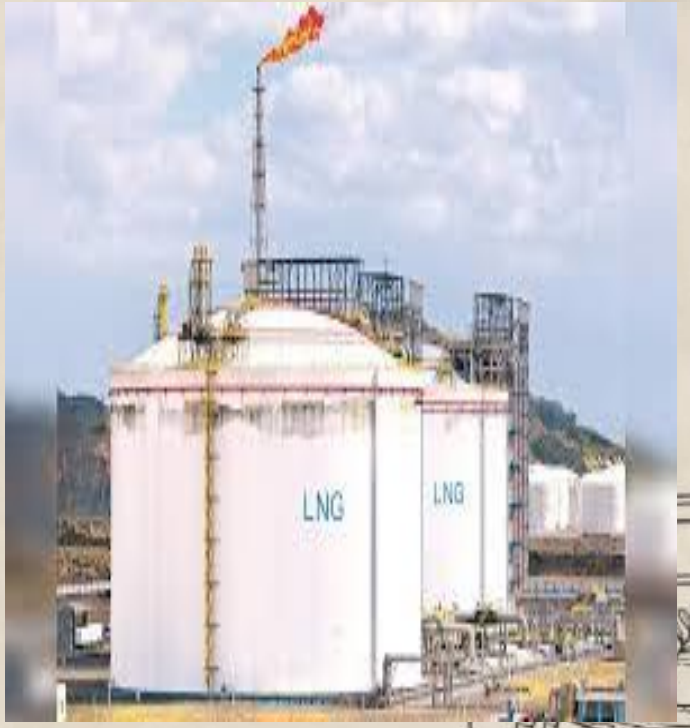

- **नीतिगत सिफारिशें :–**

- **गैस मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता:** किरीट पारेख समिति (2022) की सिफारिश के अनुसार, सभी क्षेत्रों में धीरे-धीरे मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता को बढ़ाना। डीपवाटर एवं अल्ट्रा-डीपवाटर परियोजनाओं पर मूल्य सीमाएं हटाना।

- **निष्पक्ष पाइपलाइन पहुंच:** इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स (TSOs) की स्थापना कर पाइपलाइनों तक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना।

- **प्रतिस्पर्धी ईंधनों का समान कराधान:** कोयले जैसे प्रतिस्पर्धी ईंधनों के कराधान को सुसंगत बनाना ताकि गैस और अन्य ईंधनों के बीच संतुलन बना रहे।

- **इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) को बढ़ावा:** कुशल और पारदर्शी मूल्य निर्धारण के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) को मजबूत करना।

- **थर्ड पार्टी की पहुंच एवं अवसंरचना विकास:** पारदर्शी तरीके से थर्ड पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करना और सक्षम अवसंरचना, जैसे स्ट्रेटेजिक गैस रिज़र्व, का विकास करना।

❖ प्रश्न : भारत में गैस वितरण और आपूर्ति से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में हैजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) पाइपलाइन देश की पहली लंबी दूरी की गैस पाइपलाइन थी।
2. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid) प्राकृतिक गैस की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
3. भारत सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन मिश्रण नीति अपनाई है।

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

भारत में पाम ऑयल और आयात में गिरावट

❖ यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिक बिंदु:

- ❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और तिलहन मिशन
- ❖ आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव
- ❖ भारत में पाम ऑयल उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर सरकारी योजनाएं

❖ पाम ऑयल आयात में गिरावट:

- ❖ भारत में पाम ऑयल आयात 14 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है।
- ❖ खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से कम हो गई है।
- ❖ यह गिरावट मुख्य रूप से सोया तेल जैसे सस्ते विकल्पों की उपलब्धता के कारण हुई है।

❖ पाम ऑयल क्या है?

❖ यह अफ्रीकी ऑयल पाम ट्री (Elaeis Guineensis) के फल से निकाला जाता है।
❖ दो प्रकार के होते हैं:

1. **क्रूड पाम ऑयल:** फलों के गूदे से प्राप्त, खाना पकाने में उपयोग।
2. **पाम कर्नेल ऑयल:** बीज से प्राप्त, सौंदर्य प्रसाधन व औषधीय उपयोग।

❖ यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है।

❖ वैश्विक उत्पादन:

❖ इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर दुनिया के 85% पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं।
❖ पाम ऑयल के वृक्ष मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं।

❖ भारत में पाम ऑयल उत्पादन:

❖ भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

❖ देश के कुल पाम ऑयल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 98% से अधिक है।

❖ भारत दुनिया में सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है।

❖ सरकार की पहल:

❖ 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) शुरू किया गया।

❖ इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

Result Mitra

❖ पाम ऑयल और इसके उपयोग

❖ पाम ऑयल क्या है?

❖ पाम ऑयल (Palm Oil) एक वनस्पति तेल है, जो मुख्य रूप से तेल ताड़ (Oil Palm - Elaeis guineensis) के फलों से प्राप्त होता है। यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला खाद्य तेल है। इसकी उच्च उत्पादकता, लंबी शेल्फ लाइफ और कम लागत के कारण यह वैश्विक खाद्य उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है।

❖ पाम ऑयल के प्रमुख उपयोग

1. खाद्य उत्पादों में उपयोग

❖ **पका हुआ भोजन:** यह कई प्रकार के खाद्य तेलों और वनस्पति घी में उपयोग किया जाता है।

❖ **बेकरी उत्पाद:** ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री आदि में पाम ऑयल का उपयोग किया जाता है।

❖ **चॉकलेट और आइसक्रीम:** यह चिकनाहट और स्थिरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

❖ **फास्ट फूड:** तले हुए खाद्य पदार्थों (फ्रेंच फ्राइज़, स्नैक्स) में इसका व्यापक उपयोग होता है।

2. औद्योगिक और गैर-खाद्य उपयोग

❖ **साबुन और डिटर्जेंट:** सफाई उत्पादों में पाम ऑयल से बने तत्व उपयोग किए जाते हैं।

❖ **कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स:** लोशन, लिपस्टिक, क्रीम आदि में यह पाया जाता है।

❖ **फार्मास्युटिकल उत्पाद:** कुछ दवाइयों और विटामिन सप्लीमेंट्स में इसका उपयोग होता है।

3. जैव ईंधन (Biofuel) में उपयोग

❖ पाम ऑयल से बायोडीजल बनाया जाता है, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का एक वैकल्पिक स्रोत हो सकता है।

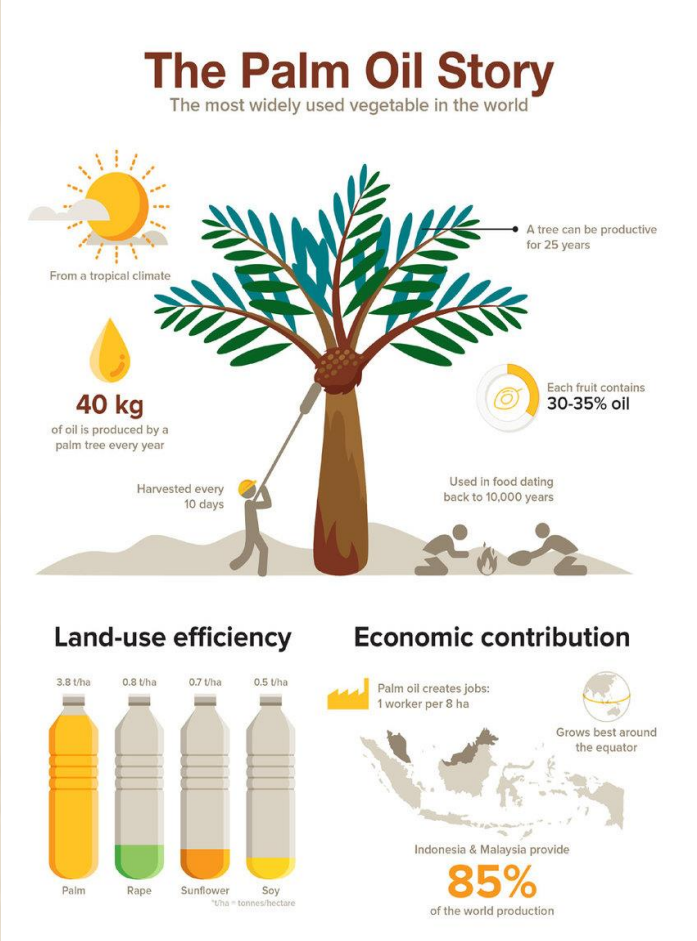

❖ पाम ऑयल का वैश्विक उत्पादन और भारत में स्थिति

❖ **प्रमुख उत्पादक देश:** इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया और नाइजीरिया।

❖ भारत विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक देश है। मुख्य आपूर्तिकर्ता मलेशिया और इंडोनेशिया हैं।

❖ भारत में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय तिलहन मिशन' और 'राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन' जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

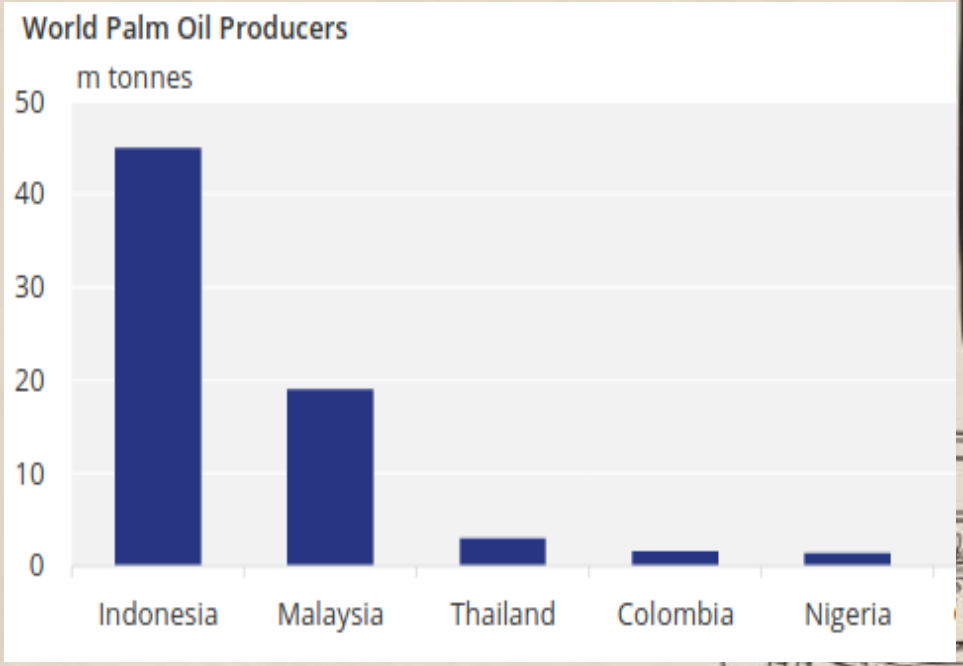

❖ पाम ऑयल के लाभ और हानियां

❖ लाभ

- ❖ सस्ता और अधिक उत्पादक तेल
- ❖ लंबे समय तक खराब नहीं होता
- ❖ औद्योगिक और बायोडीजल में उपयोगी

❖ हानियां

- ❖ **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं:** ट्रांस-फैट और संतृप्त वसा की अधिकता हृदय रोगों का कारण बन सकती है।
- ❖ **पर्यावरणीय क्षति:** पाम ऑयल के लिए जंगलों की कटाई होती है, जिससे जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभावित होते हैं।

❖ प्रश्न 1: भारत में पाम ऑयल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है।
2. पाम ऑयल का उपयोग केवल खाद्य तेल के रूप में किया जाता है।
3. भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल आयात करता है।

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

THANK YOU

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result Mitra

LIKE & SHARE

PDF

+ SUBSCRIBE